

आवश्यक रूप से तलवाना पत्रावली का मसुदा
जनवर दिनांक 11-01-2021 को पत्रावली द्वारा तलवी
दिनांक 09-01-2021 को पेश हो।

09/01
2021

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। पूर्व
आदेशिका के निर्देश की पालना नहीं की गई है।
पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।

27/01
2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दिनांक 11-02-2021
को पेश हो।

11/02
2021

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। वकील वादी
द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा विभाजन का
दावा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा वह स्थायी निषेधाज्ञा
का वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी
द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा बाद आगे नहीं चलाने व तामील
हेतु तलवाना पेश नहीं करने के कारण वाद
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलनुमा होकर
नम्बर से कम हो।

11-02-2021

(सुरेश कुमार यादव)

उपरतल आधिवार्य

हिन्दौन (करोली)

